

16  $\frac{05}{25}$

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।

अप्रार्थी अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान ने न्यायालय आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि जीवदा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 262 रकबा 0.87 हैक्टर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक LC/2024-25/212251 Dated 25-04-2025 की प्रति पेश कर भूमि का संपरिवर्तन हो जाने से धारा 177 की कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश की प्रति के अनुसार अप्रार्थी ने अपनी धारित भूमि का अकृषि प्रयोजन संपरिवर्तन करवा लिया है। पटवारी हल्का सेणा एवं निरीक्षक भू-अभिलेख बिसलपुर द्वारा दिनांक 20.11.2025 को तैयार मौका फर्द अनुसार भी वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं हो रही है। जिससे प्रकरण में कार्यवाही जारी रखना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, पाली  
उपखण्ड अधिकारी, पाली